न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	तारीख निर्णय
1/117	17.09.2020	15.10.2024

बउनवान

1. रामदयाल पुत्र बोदनराम जाटव निवासी ग्राम भजीट तह0 अलवर जरिये मुख्तयारखास सरदार सिंह पुत्र बोदनराम जाति जाट निवासी ग्राम भजीट तह0 अलवर

––वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 कान्हा (मृतक)
1/1. मोहनलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल
1/2. टोटा पुत्र स्व0 रामजीलाल निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा
2 अर्जुन पुत्र स्व0 कान्हा (मृतक)
2/1. बनिया पुत्र स्व0 अर्जुन
2/2 श्रीमति कलावती पत्नि स्व0 अर्जुन जाति कोली निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा
3 छोटा पुत्र स्व0 कान्हा जाति कोली निवासी हल्दीना तह0 मालाखेडा

दावा अन्तर्गत धारा 88,92 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1 श्री तेजसिंह चौधरी एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादीगण–एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

वादी ने अन्तर्गत धारा 88,92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हल्दीना के साबिक खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा बंजड प्रथम सिवायचक लगानी मे से खसरा नम्बर 261/2 रकबा 4 बीघा आराजी रामजीलाल पुत्र कान्हा को अलॉट की गई व उसे बजरिये इन्तकाल नम्बर 936 द्वारा खातेदारी दी गई। खसरा नम्बर 261 मे से 3 बीघा आराजी कान्हा पुत्र गोपाल कोली को अलॉट की गई व उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज किया गया। जिसका अंकन जमाबंदी सम्बत् 2045 से 2048 मे अंकित किया गया है। कान्हा पुत्र गोपाल का देहान्त हो गया जिसके वारीस रामजीलाल अर्जुन व छोटा है। रामजीलाल पुत्र कान्हा ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 261/2 रकबा 4 बीघा बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी रामदयाल पुत्र बोदनराम जाति चमार को 42000 रूपये मे विक्रय कर दिया व मौके पर 4 बीघा का कब्जा दे दिया। बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 मे रामदयाल का खाता अलग कायम किया गया व उसके 4 बीघा रकबे के नवीन नम्बरान गलत तरीके पर निम्न प्रकार खिलाफ मौका दर्ज किये गये।

साबिक खसरा नम्बर	हाल खसरा नम्बर
261/2 रकबा 4 बीघा	544 रकबा 0.15 ऐयर
	545 रकबा 0.13 ऐयर
	582 रकबा 0.10 ऐयर
	584 रकबा 0.10 ऐयर
	585 रकबा 0.20 ऐयर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

586 रकबा 0.33 ऐयर

कुल किता 6 रकबा 1.01 है0

इसी प्रकार बन्दोबस्त सम्वत् 2051—2070 मे कान्हा मृतक के वारीसान का खाता अलग कायम किया गया व उसके 3 बीघा रकबे के नवीन नम्बरान गलत तरीके पर निम्न प्रकार खिलाफ मौका दर्ज किये गये।

साबिक खसरा नम्बर

261 मि0 रकबा 3 बीघा

हाल खसरा नम्बर

546 रकबा 0.05 ऐयर

547 रकबा 0.70 ऐयर

कुल किता 2 रकबा 0.75 ऐयर

बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने मौके के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल तैयार नही किया। मौके के मुताबिक वादी रामदयाल का निम्न खसरा नम्बरान पर कब्जा है।

साबिक खसरा नम्बर

261/2 रकबा 4 बीघा

हाल खसरा नम्बर

544 रकबा 0.03 ऐयर

545 रकबा 0.13 ऐयर

546 रकबा 0.05 ऐयर

547 रकबा 0.70 ऐयर

582 रकबा 0.10 ऐयर

कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्टेयर

मौके पर कान्हा मृतक के वारीसान प्रतिवादीगण का निम्न खसरा नम्बरान पर कब्जा है जिसके अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज किये जाने चाहिये थे।

साबिक खसरा नम्बर

261 मि0 रकबा 3 बीघा

हाल खसरा नम्बर

544 रकबा 0.12 ऐयर

584 रकबा 0.10 ऐयर

585 रकबा 0.20 ऐयर

586 रकबा 0.33 ऐयर

कुल किता 4 रकबा 0.75 हैक्टेयर

उक्त गलत इन्द्राज से वादी के हकूको पर भारी कुठाराघात होता है। खसरा नम्बर हाल 544, 545, 546, 547, 582 मे वादी द्वारा फसल की जाती रही है एवं आज भी वादी ही उक्त खसरा नम्बरान को जोतता बोता है। प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर हाल खसरा नम्बर 547 रकबा 0.70 ऐयर जिसमे वादी की फसल है, पर सेटिलमेन्ट द्वारा गलत इन्द्राज करने पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसके लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:—

डिक्री बाबत करार दिये जाने इस अमर कि वादी साबिक आराजी खसरा नम्बर साबिक 261/2 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम हल्दीना पर काबिज काश्तकार खातेदार है व सेटिलमेन्ट विभाग ने उक्त आराजी के हाल नम्बर 544, 546, 582, 584, 585, 586 कुल किता 6 रकबा 1.01 है0 बनाया है वह खिलाफ मौका है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 261/2 रकबा 4 बीघा जिस पर वह बवक्त (खरीद) अलोटमेन्ट से काबिज

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

चला आ रहा है, के नवीन खसरा नम्बरान 582, रकबा 0.10 ऐयर, 547 रकबा 0.70 ऐयर, 546 रकबा 0.05 ऐयर 545 रकबा 0.13 ऐयर, 544 रकबा 0.03 ऐयर कुल किता 5 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम हल्दीना जो वादी के कब्जे काश्त मे है। जो इन्द्राज सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा सम्वत् 251–2070 की मिसल हकीयत, जमाबंदी मे किये गये है वे दादरसी अनुसार दुरूस्त किये जावे। वादी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे। अन्य दीगर मुनासिब आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

वाद सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2009 द्वारा साक्ष्य/सबूत के अभाव मे खारिज किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहाँ अपील की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2018 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुऐ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2009 निरस्त करते हुये वाद इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि तहत न्यायालय वादी से साक्ष्य लेकर तथा आवश्यक होने पर मौका रिपोर्ट प्राप्त करके साबिक व हाल दस्तावेजात एवं संलग्न बयनामा के आधार पर पुनः सुनवाई करके गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। क्षेत्राधिकार विभाजन होने के उपरान्त न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर से पत्रावली इस न्यायालय मे प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान जरिये कोर्ट नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण की विधिवत तामील होने के उपरान्त हाजिर अदालत नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 23.08.2018 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वादी के साक्ष्य लेकर प्रकरण मे तहसीलदार मालाखेडा से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 मे अंकित किया कि मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 354 दिनांक 13.07.1994 द्वारा विक्रेता रामजीलाल पुत्र कान्हा जाति कोली ने क्रेता रामदयाल पुत्र बोदनराम जाति चमार निवासी भजीट को खसरा नम्बर 261/2 रकबा 4 बीघा का बेचान किया। बन्दोबस्त पश्चात् ख0न0 261/2 रकबा 4 बीघा टूटकर नये ख0न0 582 रकबा 0.10 ऐयर, 584 रकबा 0.10 ऐयर, 544 रकबा 0.15 ऐयर, 545 रकबा 0.13 ऐयर, 585 रकबा 0.20 ऐयर, 586 रकबा 0.33 किता 6 रकबा 1.01 है0 बने है। आराजी खसरा नम्बर 545 रकबा 0.13 है0, 546 रकबा 0.05 है0, 547 रकबा 0.70 है0, 582 रकबा 0.10 है0, व 544 के लगभग 0.03 है0 भाग पर क्रेता रामदयाल पुत्र बोदनराम जाति चमार का क्रय दिनांक 1994 से आज दिनांक तक कब्जा काश्त करता आ रहा है। ख0न0 584 रकबा 0.10 पर ईसर, सुरेश, पुत्रान हरीसिंह जाट, ख0न0 585 रकबा 0.20 पर लाला उर्फ हरीनारायण पुत्र रामसिंह जाट, ख0न0 586 रकबा 0.33 पर बबली पुत्र तुल्लाराम जाट व ख0न0 544 का रकबा 0.12 है0 पर शेरसिंह पुत्र तुल्लाराम जाट निवासी हल्दीना का कब्जा होना अंकित किया है।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील वादी की लिखित बहस का अवलोकन किया। तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया।

वादी ने अपने वाद मे कथन किया है कि वादी ने रामजीलाल पुत्र कान्हा जाति कोली की खातेदारी आराजी साबिक ख0न0 261/2 रकबा 4 बीघा 42000/–रूपये मे जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है तथा वकत खरीद से आज दिनांक वादी प्रश्नगत आराजी पर काबिज व दाखिल है किन्तु सेटिलमेन्ट सम्वत् 2051 मे वादी रामदयाल का खाता अलग कर उसके क्रय शुदा रकबा 4 बीघा के नवीन नम्बर 544, 545, 582, 584, 585, 586, गलत तरीके पर खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून दर्ज कर कायम कर दिये। तथा बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 मे प्रतिवादीगण की आराजी साबिक ख0न0 261 रकबा 3 बीघा के नवीन नम्बर 546, 547 खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज कर दिये। जबकि मौके के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 261/02 रकबा 4 बीघा के हाल ख0न0 544 रकबा 0.03 है0, 545 रकबा 0.13 है0, 546 रकबा 0.05 है0, 547 रकबा 0.70 है0, 582 रकबा 0.10 है0, वादी रामदयाल के एवं साबिक ख0न0 261 रकबा 3 बीघा के हाल ख0न0 544 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.10 है0, 585 रकबा 0.20 है0, 586 रकबा 0.33 है0, किता 4

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

रकबा 0.75 है0, प्रतिवादीगण के हिस्से मे होने चाहिये। वादी उपरोक्तानुसार ही मौके पर काबिज व दाखिल है तथा इसी प्रकार उपरोक्त आराजी पर वादी की फसल बोई हुई है।

तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट में तहसीलदार मालाखेडा ने वादी रामदयाल का क्रय दिनांक 1994 से आदिनांक तक हाल आराजी खसरा नम्बर 545 रका 0.13 है0, 546 रकबा 0.05 है0, 547 रकबा 0.70 है0, 582 रकबा 0.10 है0, 544 रकबा 0.03 है0, पर कब्जा काश्त होना अंकित किया है।

सेटिलमेन्ट विभाग को मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही नवीन खसरा नम्बर एवं रकबा कायम कर रिकॉर्ड में प्रविष्ठि करनी चाहिये थी। सेटिलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नही है कि वह बिना आधार के इन्द्राज परिवर्तन करे। उपरोक्तानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.03 है0, 545 रकबा 0.13 है0, 546 रकबा 0.05 है0, 547 रकबा 0.70 है0, 582 रकबा 0.10 है0, वाके ग्राम हल्दीना का वादी तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.10 है0, 585 रकबा 0.20 है0, 586 रकबा 0.33 है0, वाके ग्राम हल्दीना का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हों।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	तारीख निर्णय
1/117	17.09.2020	15.10.2024

बउनवान

1. रामदयाल पुत्र बोदनराम जाटव निवासी ग्राम भजीट तह0 अलवर जरिये मुख्तयारखास सरदार सिंह पुत्र बोदनराम जाति जाट निवासी ग्राम भजीट तह0 अलवर

——वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 कान्हा (मृतक)
1/1. मोहनलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल
1/2. टोटा पुत्र स्व0 रामजीलाल निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा
2 अर्जुन पुत्र स्व0 कान्हा (मृतक)
2/1. बनिया पुत्र स्व0 अर्जुन
2/2 श्रीमति कलावती पत्नि स्व0 अर्जुन जाति कोली निवासीयान ग्राम हल्दीना तह0 मालाखेडा
3 छोटा पुत्र स्व0 कान्हा जाति कोली निवासी हल्दीना तह0 मालाखेडा

दावा अन्तर्गत धारा 88,92 ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.03 है0, 545 रकबा 0.13 है0, 546 रकबा 0.05 है0, 547 रकबा 0.70 है0, 582 रकबा 0.10 है0, वाके ग्राम हल्दीना का वादी तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 544 रकबा 0.12 है0, 584 रकबा 0.10 है0, 585 रकबा 0.20 है0, 586 रकबा 0.33 है0, वाके ग्राम हल्दीना का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

यह पर्चा डिक्री आंज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाई जाकर जारी की गई।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)